न्यायालय अंचल अधिकारी, काँके (राँची)।

विविध वाद संख्या– 50/2022–23

श्री प्रशान्त त्रिपाठी .... वादी

बनाम्

श्री मधुसूदन त्रिपाठी ....प्रतिवादी

विषयः– जमाबंदी निरस्तीकरण मौजा– चौड़ी

आदेश

कार्रवाई के आदेश की तिथि	न्यायालय के आदेश एवं हस्ताक्षर	कार्यालय आदेश एवं दिनांक
3/03/23	आवेदक श्री प्रशान्त त्रिपाठी, पिता– स्व0 श्याम बिहारी त्रिपाठी, पता– इंटरनेशनल पब्लिक स्कुल, काँके रोड, राँची द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0– 3152 R 27/2012–13 से कायम पंजी II के भाग सं0– 1, पृष्ट सं0– 98 में मौजा– चौड़ी, खाता सं0– 63, प्लॉट सं0– 80, रकबा– 44 डी0 भूमि की जमाबंदी को रद्द करने हेतु आवेदन समर्पित किया गया है। उक्त के आलोक में उभय पक्षों को पत्रांक– 1700(ii), दिनांक– 14.09.2022 एवं 2148(ii), दिनांक– 03.12.2022 को प्रश्नगत भूमि के दावा से संबंधित कागजात समर्पित करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस के आलोक में प्रथम पक्ष द्वारा समर्पित पक्ष निम्नवत् हैः– • <u>आवेदक प्रशान्त त्रिपाठी द्वारा समर्पित आवेदनः–</u> खाता सं0– 63, प्लोट सं0– 80, थाना सं0– 188 जमीन मेरे दादा श्याम बिहारी त्रिपाठी वल्द रामधारी त्रिपाठी के नाम से खरीदगी है जिसका पट्टा का सीरियल नो0– 7825 निबंधन तिथि 24.09.1979 जो की जिला अवर निबंधन कार्यालय में पंजीबद्ध है। उक्त जमीन का दाखिल खारिज वर्ष 2012 में किया गया था। उक्त अंचल अधिकारी, काँके अंचल में इस जमीन का दाखिल खारिज के लिए मधुसूदन त्रिपाठी ने जो की मेरे चाचा हैं इनके द्वारा गलत वंशावली प्रस्तुत किया गया था जिसका की जमीन का दाखिल खारिज कराने हेतु अपूर्ण एवं गलत तरीके से वंशावली दर्शाया गया था। जिसमें की उन्होने बताया की मैं स्व0 श्याम बिहारी त्रिपाठी का एक मात्र मुत्र हुँ जो की गलत है, जबकि मेरे दादा स्व0 श्याम बिहारी त्रिपाठी जी के दो पुत्र हैं, मेरे पिता स्व0 गजेन्द्र नाथ त्रिपाठी एवं मेरे चाचा मधुसूदन त्रिपाठी हैं। • <u>आवेदक प्रशान्त त्रिपाठी द्वारा समर्पित पक्षः–</u> I Prashant Tripathy, aged about 27 years, S/o Late Gajendra Nath Tripathy want to inform you that:- ❖ That few days back it came under knowledge that my uncle namely, Madhu Sudan Tripathy had illegally without my concern or authority, had applied for mutation. ❖ That after death of my father (Gajendra Nath Tripathy) and Grandfather (Shyam bihari Tripathy) Filled and application of Succession mutation case no - 3152R-27/12-13 was registered and in light of this case. ❖ That name of Madhu Sudan Tripathy was entered in this mutation	

Scanned with CamScanner

and revenue records.

- That the land was registered in the name of my grandfather (Late Shyam Bihari tripathy).
- That after death of my grandfather (Late Shyam Bihari Tripathy) as per law of succession the mutation should be done according to genealogy table.
- That by hiding the fact with you that i am still alive and also the legal hier of the property he has wrongly mis represented you and illegally applied for mutation by was succession for above mentioned land.
- That it is therefore requested you to cancel the mutation done in favour of my uncle (Madhu Sudan Tripathy) and enter my name also in all revenue records of land khata no - 63 plot no - 80 having area about 44 decimal situated at ward no - 22 of kanke circle.
- That after the death of my grandfather i am also the legal heir of the land as my father is also not alive.

प्रश्नगत भूमि के दावा से संबंधित कोई भी कागजात द्वितीय पक्ष के द्वारा समर्पित नहीं किया गया है। आवेदक के अनुसार द्वितीय पक्ष के द्वारा तथ्यों को छुपाकर दाखिल खारिज कराया गया है।

अतः कागजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि मामला दाखिल खारिज वाद सं0– 3152R27/2012–13 को रद्द करने से संबंधित है, वाद को अग्रेतर कार्रवाई हेतु उप समाहर्त्ता भूमि सुधार सदर, राँची को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

03/03/23
अंचल अधिकारी,
काँके, राँची।

03/03/23
अंचल अधिकारी,
काँके, राँची।

Digitally signed by DIWAKARPRASAD CHANDRIKAPRASAD DWIVEDI
Date: 2023.05.08 14:09:41 +05:30
Location: 192.168.29.226

Scanned with CamScanner